उत्तर प्रदेश
संस्कृति विभाग
संख्या 1558 / चार–99–19(15) 192
लखनऊ, दिनांक 28 मई, 1999

अधिसूचना
प्रकीर्ण

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके और इस विषय पर समस्त विद्यमान नियमों, और आदेशों का अतिक्रमण करके राज्यपाल उत्तर प्रदेश संस्कृति विभाग लिपिक वर्गीय सेवा में भर्ती और उसमें नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :–

उत्तर प्रदेश संस्कृति विभाग लिपिक वर्गीय सेवा नियमावली,1999

भाग–एक–सामान्य

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ 1. (1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश संस्कृति विभाग लिपिक वर्गीय सेवा नियमावली कही जायेगी।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

सेवा की प्रस्थिति 2. उत्तर प्रदेश संस्कृति विभाग लिपिक वर्गीय सेवा में समूह "ग" के पद समाविष्ट हैं।

परिभाषाएँ 3. जब तक विषय या संदर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो इस नियमावली मे :–

(क) "अधिनियम" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 से है :

(ख) "नियुक्ति प्राधिकारी" का तात्पर्य निदेशक, संस्कृति विभाग, उत्तर प्रदेश से है :

(ग) "भारत का नागरिक" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से जो संविधान में भाग दो के अधीन भारत का नागरिक हो या समझा जाय :

(घ) "संविधान" का तात्पर्य "भारत का संविधान" से है :

(ड़) "सरकार" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार से है :

(च) "राज्यपाल" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से है :

(छ) "सेवा का सदस्य " का तात्पर्य सेवा संवर्ग में किसी पद पर इस नियममावली या इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व प्रवृत्त नियमों या आदेशों के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति से है :

(ज) "नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों" का तात्पर्य समय–समय पर यथा संशोधित अधिनियम की अनुसूची एक में विनिर्दिष्ट नागरिकों के पिछड़े वर्गों से है :

(झ) "सेवा" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश संस्कृति विभाग लिपिक वर्गीय सेवा से है :

(ञ) "मौलिक नियुक्ति" का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति से है जो तदर्थ नियुक्ति का न हो और नियमों के अनुसार चयन के पश्चात् की गयी हो और यदि कोई नियम न हो, तो सरकार द्वारा जारी किये गये कार्यपालक अनुदेशों द्वारा तत्समय विहित प्रक्रिया के अनुसार की गयी हो :

(ट) "भर्ती का वर्ष" का तात्पर्य किसी कलेण्डर वर्ष की पहली जुलाई से प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि से है।

भाग दो–संवर्ग

सेवा का संवर्ग

4. (1) सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जितनी सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित की जाय।

(2) जब तक कि उपनियम (1) के अधीन परिवर्तन करने के आदेश न दिये जायें सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जितनी परिशिष्ट में दी गयी है।

परन्तु :–

(एक) नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को बिना भरे हुए छोड़ सकता है या राज्यपाल उसे आस्थगित रख सकते हैं, जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार न होगा, या

(दो) राज्यपाल ऐसे अतिरिक्त स्थायी या अस्थायी पदों का सृजन कर सकते हैं, जिन्हें वह उचित समझे।

भाग तीन–भर्ती

भर्ती का स्रोत

5. सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदो पर भर्ती निम्नलिखित स्रोतों से की जायेगी :–

(1) प्रशासनिक अधिकारी –	मौलिक रूप से नियुक्त वरिष्ठ सहायक, वरिष्ठ वरिष्ठ सहायक (अधिष्ठान) और वरिष्ठ सहायक(विधि) में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में दस वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, पदोन्नति द्वारा।
(2) (एक) वरिष्ठ सहायक (4500–7000 रूपये)	मौलिक रूप से नियुक्त वरिष्ठ सहायक, वरिष्ठ लिपिक, प्रधान लिपिक और वरिष्ठ लिपिक–सह–परीक्षा लिपिक में से जो वेतनमान 4000–6000 रूपये में कार्य कर रहे हों और जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में पाँच वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, पदोन्नति द्वारा।
(3) वरिष्ठ सहायक (विधि) (4500–7000 रूपये)	सीधी भर्ती द्वारा।
(4) (एक) वरिष्ठ लिपिक (दो) वरिष्ठ सहायक (4000–6000)	मौलिक रूप से नियुक्त स्टोर कीपर–सह–केयर–टेकर और स्टोर–कीपर–सह
(तीन) प्रधान लिपिक (चार) वरिष्ठ लिपिक सह–परीक्षा लिपिक	पुस्तकालय सहायक में से, जो वेतनमान 3200–4900 रूपये में कार्य कर रहे हों और जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में पाँच वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, पदोन्नति द्वारा :

		परन्तु यदि पदोन्नति के लिये पर्याप्त संख्या में पात्र या उपर्युक्त अभ्यर्थी उपलब्ध न हो तो मौलिक रूप से नियुक्त टंकक, कनिष्ठ लिपिक, स्टोर कीपर, निर्गम लिपिक, अधियाचन लिपिक, फीस लिपिक, स्टोर कीपर–सह–केयर–टेकर और अवर वर्ग लिपिक जो वेतनमान 3050–4500 रूपये में कार्य कर रहें हों और जिन्होंने भर्ती के प्रथम दिवस को इस रूप में सात वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, को सम्मिलित करने के लिये पात्रता के क्षेत्र का विस्तार किया जा सकता है।
5. (एक) स्टोरकीपर–सह–पुस्तकालय सहायक (3200–4900 रूपये) (दो) स्टोर कीपर सह–केयर टेकर (3200–4900 रूपये)		सीधी भर्ती द्वारा।
6. (एक) टंकक	(एक)	अस्सी प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा
(दो) कनिष्ठ लिपिक (तीन) स्टोर कीपर (चार) निर्गम लिपिक (पाँच) अधियाचन लिपिक (छः) फीस लिपिक	(दो)	पन्द्रह प्रतिशत मौलिक रूप से नियुक्त हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण समूह "घ " के कर्मचारियों में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में पाँच वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो और जो इस संबंध में समय–समय पर जारी किये गये सरकारी आदेशों के अनुसार हिन्दी टंकण में न्यूनतम पच्चीस शब्द प्रति मिनट गति रखता हो, पदोन्नति द्वारा।
(सात) स्टोर–कीपर–सह–केयर टेकर	(तीन)	पाँच प्रतिशत मौलिक रूप से नियुक्त इण्टरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण।
(आठ) अवर वर्ग सहायक		समूह "घ " के कर्मचारियों में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में पाँच वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो और जो इस सम्बन्ध में समय–समय पर जारी किये गये सरकारी आदेशों के अनुसार हिन्दी टंकण में न्यूनतम

	पच्चीस शब्द प्रति मिनट की गति रखता हो, इस रूप में पाँच वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो पदोन्नति द्वारा।
7. वैयक्तिक सहायक (5500–9000 रू0)	मौलिक रूप से नियुक्त आशुलिपिकों में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में पाँच वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, पदोन्नति द्वारा।
8 आशुलिपिक (4000–6000 रू0)	सीधी भर्ती द्वारा।

6. अनुसूचित जाति में, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षण, समय–समय पर यथा संशोधित अधिनियम उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1993 और भर्ती के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार किया जायेगा।

भाग–चार–अर्हताएँ

राष्ट्रियता

7. सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिये यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी :

(क) भारत का नागरिक हो, या

(ख) तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पहली जनवरी, 1962 के पूर्व भारत आया हो, या

(ग) भारतीय उद्‌भव का ऐसा व्यक्ति हो जिसने भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पाकिस्तान, वर्मा, श्रीलंका या किसी पूर्वी अफ्रीकी देश केनिया, युगांडा और यूनाईटेड रिपब्लिक ऑफ तन्जानिया (पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजीबार) से प्रब्रजन किया हो :

परन्तु उपर्युक्त श्रेणी (ख) या (ग) के अभ्यर्थी को ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण–पत्र जारी किया गया हो :

परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) के अभ्यर्थी से यह भी अपेक्षा की जायेगी कि वह पुलिस उप महानिरीक्षक, अभिसूचना शाखा, उत्तर प्रदेश से पात्रता का प्रमाण–पत्र प्राप्त कर ले :

परन्तु यह भी कि यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी (ग) को हो तो पात्रता का प्रमाण–पत्र एक वर्ष से अधिक के लिये जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी ने एक वर्ष की अवधि के आगे सेवा में इस शर्त पर रहने दिया जायेगा मिक वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर ले।

टिप्पणी : ऐसे अभ्यर्थी को जिसके मामले में मात्रता का प्रमाण–पत्र आवश्यक हो किन्तु वह तो जारी किया गया हो और न ही देने से इन्कार किया गया हो, किसी परीक्षा या साक्षात्कार में सम्मिलित किया जा सकता है और उसे इस शर्त पर अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है कि आवश्यक प्रमाण–पत्र उसके द्वारा प्राप्त कर लिया गया या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाय।

शैक्षिक अर्हतायें

8. सेवा में विभिन्न पदों पर सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी की निम्न अर्हतायें होनी आवश्यक है :–

पद	अर्हता
1. वरिष्ठ सहायक (विधि)	भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से न्यूनतम पचपन प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक उपाधि। अधिमानी न्यायालय में वादों के निपटारे का एक वर्ष का अनुभव।
(2) 1. टंकक 2. कनिष्ठ लिपिक 3. स्टोर कीपर 4. निर्गम लिपिक 5. अधियाचन लिपिक 6. फीस लिपिक 7. स्टोर कीपर–सह केयर–टेकर 8 अवर वर्ग सहायक	(1) उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की इण्टरमीडिएट या सरकार द्वारा इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। (2) हिन्दी टंकण में न्यूनतम गति पच्चीस शब्द प्रति मिनट होनी चाहिए।
(3) स्टोर कीपर–सह पुस्तकालय सहायक	(1) उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की इण्टरमीडिएट या सरकार द्वारा इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। (2) सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से पुस्तकालय विज्ञान में डिप्लोमा या प्रमाण–पत्र। अधिमानी भण्डार के रख–रखाव और भण्डार अभिलेखों के रखने का एक वर्ष का अनुभव।

2. स्टोर कीपर–सह–केयर टेकर	उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की इण्टरमीडिएट या सरकार द्वारा इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।	
	<u>अधिमानी</u>	
	भण्डार के रख–रखाव और भण्डार अभिलेखों के रखने का एक वर्ष का अनुभव।	
(4) 1. आशुलिपिक	<u>आवश्यक</u>	
	उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की इण्टरमीडिएट या सरकार द्वारा इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।	
	(2) हिन्दी आशुलेखन में न्यूनतम गति अस्सी शब्द प्रति मिनट और हिन्दी टंकण में पच्चीस शब्द प्रति मिनट होनी चाहिए।	

अधिमानी अर्हता

9. अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा जिसने :–

(एक) प्रादेशिक सेवा में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या

(दो) राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी " प्रमाण–पत्र प्राप्त किया हो।

आयु

10. सीधी भर्ती के लिये यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने नीचे दी गयी सारणी में विनिर्दिष्ट पद के विरूद्ध कलेण्डर वर्ष में जुलाई के प्रथम दिवस को जिसमें रिक्तियाँ विज्ञापित की जाय, न्यूनतम आयु प्राप्त कर ली हो और अधिकतम से अधिक आयु प्राप्त न की हो :

क्रम सं0	पद का नाम	न्यूनतम आयु	अधिकतम आयु
1	**2**	**3**	**4**
1	वरिष्ठ सहायक (विधि)	21	32
2	टंकक	18	32
3	कनिष्ठ लिपिक	18	32
4	स्टोर कीपर	18	32
5	निर्गम लिपिक	18	32
6	अधियाचन लिपिक	18	32
7	फीस लिपिक	18	32
8	स्टोर कीपर–सह–केयर टेकर	18	32
9	अवर वर्ग लिपिक	18	32
10	स्टोर कीपर–सह–पुस्तकालय सहायक	18	32
11	स्टोर कीपर–सह–केयर–टेकर	18	32
12	आशुलिपिक	18	32

परन्तु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के, जो सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित की जायं, अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी विनिर्दिष्ट की जाय।

चरित्र 11. सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा में सेवायोजन के लिये सभी प्रकार से उपयुक्त हो सके। नियुक्ति प्राधिकारी इस सम्बन्ध में अपना समाधान कर लेगा।

टिप्पणी : संघ सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा या संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होंगे। नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिये दोष सिद्ध व्यक्ति भी पात्र नहीं होंगे।

वैवाहिक प्रास्थिति 12. सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिये ऐसा पुरूष पात्र न होगा जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र न होगी जिसने ऐसे पुरूष से विवाह किया हो जिसकी पहले से एक पत्नी जीवित हो :

परन्तु सरकार किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है यदि उसका यह समाधान हो जाये कि ऐसा करने के लिये विशेष कारण विद्यमान हैं।

शारीरिक स्वस्थता

13. किसी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो और वह किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त न हो, जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की सम्भावना हो। किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए अन्तिम रूप से अनुमोदित किये जाने के पूर्व उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वह फाइनेन्शियल हैण्ड बुक खण्ड दो, भाग तीन के अध्याय तीन में दिये गये फण्डामेण्टल रूल, 10 के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार स्वस्थता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करें :

परन्तु पदोन्नति द्वारा भर्ती किये गये अभ्यर्थियों से स्वस्थता प्रमाण–पत्र की अपेक्षा नहीं की जायेगी।

भाग पाँच–भर्ती की प्रक्रिया

रिक्तियों की अवधारणा

14. नियुक्ति प्राधिकारी वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या और नियम 6 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या अवधारित करेगा।

सीधी भर्ती की प्रक्रिया

15. सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदो की सीधी भर्ती समय–समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश (उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर) समूह "ग " के पदों पद सीधी भर्ती की प्रक्रिया नियमावली, 1990 के उपबन्धों के अनुसार की जायेगी।

पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया

16. (1) पदोन्नति द्वारा भर्ती अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर समय–समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश विभागीय पदोन्नति समिति का गठन (लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर के पदों के लिए) नियमावली, 1992 के उपबन्धों के अनुसार गठित चयन समिति के माध्यम से की जायेगी।

टिप्पणी :

चयन समिति में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के नागरिकों का प्रतिनिधित्व देने के लिए अधिकारियों का नाम निर्देशन समय–समय पर यथा संशोधित अधिनियम की धारा 7 के अधीन दिये गये आदेश के अनुसार किया जायेगा।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों की पात्रता सूचियां समय–समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश (लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर के पदों पर) चयनोन्नति पात्रता सूची नियमावली, 1986 के अनुसार तैयार करेगा और उसे उनकी चरित्र पंजियों और उनसे सम्बन्धित ऐसे अन्य अभिलेखों के साथ, जो उचित समझे जायं, चयन समिति के समक्ष रखेगा :

परन्तु जहाँ दो या अधिक पोषक संवर्ग हों :–

(क) भिन्न–भिन्न वेतनमान होने पर उच्च वेतनमान वाले संवर्ग के अभ्यर्थियों को पात्रता सूची में ऊपर रखा जायेगा।

(ख) समान वेतनमान होने पर अभ्यर्थियों के नाम उनके अपने–अपने संवर्ग में मौलिक नियुक्ति के दिनांक के क्रम में पात्रता सूची में रखे जायेंगे। किन्तु यदि दो या अधिक अभ्यर्थियों की मौलिक नियुक्ति का एक ही दिनांक हो तो ऐसी स्थिति में अधिक आयु के अभ्यर्थी का नाम पात्रता सूची में ऊपर रखा जायेगा।

(3) चयन समिति उपनियम (2) में निर्दिष्ट अभिलेखों के आधार पर अभ्यर्थियों के मामलों पर विचार करेगी और यदि वह आवश्यक समझें तो अभ्यर्थियों का साक्षात्कार भी कर सकती है।

(4) चयन समिति चयन किये गये अभ्यर्थियों की ज्येष्ठता क्रम में, जैसी उस संवर्ग में हो, जिससे उनकी पदोन्नति की जाती है, एक सूची तैयार करेगी और उसे नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगी।

संयुक्त चयन सूची

17: यदि भर्ती के किसी वर्ष में नियुक्तियां सीधी भर्ती और पदोन्नति, दोनों ही प्रकार की जानी हो तो एक संयुक्त चयन सूची तैयार की जायेगी जिसमें अभ्यर्थियों के नाम सम्बन्धित सूचियों में से ऐसी रीति से लेकर रखे जायेंगे कि विहित प्रतिशत बना रहे, सूची में पहला नाम पदोन्नति द्वारा नियुक्त किये जाने वाले व्यक्ति का होगा।

नियुक्ति

18: (1) उपनियम (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों के नाम उसी क्रम में लेकर, जिसमें वे यथास्थिति, नियम 15 या 16 के अधीन तैयार की गयी सूची में आयें हों, नियुक्तियां करेगा।

(2) यदि भर्ती के किसी वर्ष में, नियुक्तियां सीधी भर्ती और पदोन्नति, दोनों ही प्रकार से की जानी हो, तो नियमित नियुक्तियां तब तक नहीं की जायेगी जब तककि दोनों स्त्रोतों से चयन न कर लिया जाय और नियम 17 के अनुसार संयुक्त सूची तैयार न कर दी जाय।

(3) यदि किसी एक चयन के सम्बन्ध में एक से अधिक नियुक्ति के आदेश जारी किये जाये तो एक संयुक्त आदेश भी जारी किया जायेगा जिसमें व्यक्तियों के नामों का उल्लेख, ज्येष्ठता क्रम में किया जायेगा जैसी यथास्थिति चयन में अवधारित की जाय या जैसी कि उस संवर्ग में हो, जिसमें उन्हें पदोन्नत किया जाय।

परिवीक्षा

19. (1) सेवा में किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त किये जाने पर प्रत्येक व्यक्ति को दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किये जायेंगे अलग–अलग मामलों में परिवीक्षा अवधि को बढ़ा सकता है जिसमें ऐसा दिनांक विनिर्दिष्ट किया जायेगा जब तक अवधि बढ़ाई जाय :

परन्तु आपवादिक परिस्थितियों के सिवाय परिवीक्षा अवधि एक वर्ष से अधिक किसी भी परिस्थिति में हो वर्ष से अधिक नहीं बढ़ायी जायेगी।

(3) यदि परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी भी समय या उसके अन्त में नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है, तो उसे उसके मौलिक पद पर, यदि कोई हो, प्रत्यावर्तित किया जा सकता है और यदि उसका किसी पद पर धारणाधिकार न हो, तो उसकी सेवायें समाप्त की जा सकती हैं।

(4) ऐसा परिवीक्षाधीन व्यक्ति, जिसे उपनियम (3) के अधीन प्रत्यावर्तित किया जाय या जिसकी सेवायें समाप्त की जायं किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।

(5) नियुक्ति प्राधिकारी संवर्ग में सम्मिलित किसी पद पर या किसी अन्य समकक्ष या उच्च पद पर स्थानापन्न या अस्थायी रूप में की गयी निरन्तर सेवा को परिवीक्षा अवधि की संगणना करने के प्रयोजनार्थ गिने जाने की अनुमति दे सकता है।

स्थायीकरण

20. (1) उननियम (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को परिवीक्षा अवधि या बढ़ाई गयी परिवीक्षा अवधि के अन्त में उसकी नियुक्ति में स्थायी कर दिया जायेगा, यदि –

(क) उसका कार्य और आचरण संतोषजनक बताया जाय : और
(ख) उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित कर दी जाय।

(2) जहाँ उत्तर प्रदेश राज्य के सरकारी सेवकों की स्थायीकरण नियमावली, 1991 के उपबन्धों के अनुसार स्थायीकरण आवश्यक नहीं है वहाँ उस नियमावली के नियम 5 के उपनियम (3) के अधीन यह घोषणा करते हुए आदेश कि सम्बन्धित व्यक्ति ने परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है स्थायीकरण का आदेश समझा जायेगा।

ज्येष्ठता

21. सेवा में किसी श्रेणी के पद पर मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता समय–समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 के अनुसार अवधारित की जायेगी।

भाग–सात–वेतन इत्यादि

वेतनमान

22. (1) सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर नियुक्त व्यक्तियों का अनुमन्य वेतनमान ऐसा होगा जैसा सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित किया जाय।

(2) इस नियमावली के प्रारम्भ के समय वेतनमान नीचे दिये गये हैं :

	पद का नाम	वेतनमान
1.	प्रशासनिक अधिकारी	5500–175–9000 रूपये
2.	1. वरिष्ठ सहायक	4500–125–7000 रूपये
	2. वरिष्ठ सहायक (अधिष्ठान)	
	3. वरिष्ठ सहायक (विधि)	4500–125–7000 रूपये
3.	1. वरिष्ठ सहायक	4000–100–6000 रूपये
	2. वरिष्ठ लिपिक	4000–100–6000 रूपये
	3. वरिष्ठ लिपिक सह परीक्षा लिपिक	4000–100–6000 रूपये
	4. प्रधान लिपिक	4000–100–6000 रूपये
4.	1. स्टोर कीपर–सह–पुस्तकालय सहायक	3200–85–4900 रूपये
	2. स्टोर कीपर–सह–केयर–टेकर	
5.	1. टंकक	3050–75–4590 रूपये
	2. कनिष्ठ लिपिक	
	3. स्टोर कीपर	
	4. निर्गम लिपिक	
	5. अधियाचन लिपिक	
	6. फीस लिपिक	
	7. स्टोर कीपर–सह–केयर–टेकर	
	8. अवर वर्ग लिपिक	

6. आशुलिपिक — 4000–100–6000 रूपये प्रत्येक आशुलिपिक जिन्हें इस नियमावली के प्रारम्भ होन के पूर्व 4500–7000 रूपये का वेतनमान अनुमन्य था उन्हें इसके प्रारम्भ होने के पश्चात् उक्त वेतनमान जारी रहेगा और उक्त वेतनमान उन्हें वैयक्तिक वेतनमान के रूप में अनुमन्य होगा।

परिवीक्षा अवधि में वेतन

23. (1) फण्डामेंटल रूल्स में किसी प्रतिकूल उपबन्ध के होते हुए भी, परिवीक्षाधीन व्यक्ति को, यदि वह पहले से स्थायी सरकारी सेवा में न हो, समयमान में उसकी प्रथम वेतनवृद्धि तभी दी जायेगी जब उसने एक वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी कर विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो और प्रशिक्षण जहाँ विहित हो कर लिया हो और द्वितीय वेतनवृद्धि दो वर्ष की सेवा के पश्चात् तभी दी जायेगी जब उसने परिवीक्षा अवधि पूरी कर ली हो और उसे स्थायी भी कर दिया गया हो।

(2) ऐसे व्यक्ति का जो पहले से सरकार के अधीन कोई पद धारण कर रहा हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन, सुसंगत फण्डामेंटल रूल्स द्वारा विनियमित होगा :

(3) ऐसे व्यक्ति का, जो पहले से स्थायी सरकारी सेवा में हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन राज्य के कार्य–कलाप के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू सुसंगत नियमों द्वारा विनियमित होगा।

दक्षतारोक पार करने का मानदण्ड

24. किसी व्यक्ति को दक्षता रोक पार करने की अनुमति तब तक नहीं दी जायेगी जब तक कि उसका कार्य और आचरण संतोषजनक न पाया जाय और जब तक उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित न कर दी जाय।

पद समर्थन

25. किसी पद पर या सेवा में लागू नियमों के अधीन अपेक्षित सिफारिशों से भिन्न किन्हीं सिफारिशों पर चाहें लिखित हो या मौखिक विचार नहीं किया जायेगा। किसी अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास उसे नियुक्ति के लिये अनर्ह कर देगा।

अन्य विषयों का विनियमत

26. ऐसे विषयों के सम्बन्ध में जो विनिर्दिष्ट रूप से इस नियमावली या विशेष आदेशों के अन्तर्गत न आते हों, सेवा में नियुक्ति व्यक्ति राज्य के कार्यकलापों के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू नियमों, विनियमों और आदेशों द्वारा नियंत्रित होंगे।

सेवा की शर्तों में शिथिलता

27. जहाँ राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशिष्ट मामले में अनुचित कठिनाई होती है, वहाँ वह उस मामले में लागू नियमों में किसी बात के होते हुए भी, आदेश द्वारा उप नियम की अपेक्षाओं को उस सीमा तक और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जिन्हें वह मामले में न्यायसंगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिए आवश्यक समझे, अभिमुक्त या शिथिल कर सकती है :

व्यावृत्ति

28. इस नियमावली में किसी बात का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण और अन्य रियायतों पर नहीं पड़ेगा, जिनका इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध किया जाना अपेक्षित हो।

आज्ञा से,

सचिव

परिशिष्ट

(नियम 4) (2) देखिये)

क्रमसं0		पद का नाम	पदों की संख्या		योग
			स्थायी	अस्थायी	योग
1		प्रशासनिक अधिकारी	2	—	2
2	1	वरिष्ठ सहायक	8	—	8
	2	वरिष्ठ सहायक (अधिष्ठान)	1	—	1
	3	वरिष्ठ सहायक (विधि)	—	1	1
3	1	वरिष्ठ सहायक (4000—6000)	3	1	4
	2	वरिष्ठ लिपिक	5	4	9
	3	वरिष्ठ लिपिक—सह परीक्षा लिपिक	1	—	1
	4	प्रधान लिपिक	2	—	2
4	1	स्टोर कीपर—सह पुस्तकालय सहायक	1	—	1
	2	स्टोर कीपर—सह—केयर—टेकर	1	—	1
5	1	टंकक	15	2	17
	2	कनिष्ठ लिपिक	15	3	18
	3	निर्गम लिपिक	1	—	1
	4	अधियाचन लिपिक	2	—	2
	5	फीस लिपिक	1	—	1
	6	स्टोर कीपर	1	—	1
	7	स्टोर कीपर—सह—केयर टेकर	2	—	2
	8	अवर वर्ग लिपिक	—	10	10
6		वैयक्तिक सहायक	1	—	1
7		आशुलिपिक	16	4	20

संख्या 1558/चार—99—14(15)/92 तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1. निदेशक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र, जवाहर भवन, लखनऊ।
2. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री उ0प्र0 इलाहाबाद को इस आशय से प्रेषित कि वह कृपया उक्त अधिसूचना को सरकारी गजट के आगामी अंक में प्रकाशित करने का कष्ट करें तथा उसकी प्रति शासन को उपलब्ध करायें।
3. सचिव, लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, इलाहाबाद।
4. संस्कृति विभाग के अधीन समस्त कार्यालयाध्यक्ष (द्वारा निदेशक संस्कृति निदेशालय उ0प्र0)।
5. कार्मिक अनुभाग—1
6. कार्मिक (नियमावली सेल) को 5 प्रतियों में।
7. भाषा (प्रकाशन) अनुभाग—1

आज्ञा से,

(अविनाश पाण्डेय)
अनुसचिव